संख्या 551 /XI/19/56(02)2020

प्रेषक,

मनीषा पंवार
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, पौड़ी।

ग्राम्य विकास अनुभाग–2 देहरादून दिनांकः 11 सितम्बर, 2020।

विषयः– मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना (**Mukhiya Mantri Palayan Roktham Yojana**) के दिशा–निर्देश के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा पलायन रोकने तथा इस हेतु राज्य स्तर पर पलायन प्रभावित गांवों के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार किये जाने हेतु मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना (**Mukhiya Mantri Palayan Roktham Yojana**) प्रारम्भ की जा रही है। इस हेतु प्रस्तावित कार्ययोजना/दिशा निर्देश संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं।

अतः उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना (**Mukhiya Mantri Palayan Roktham Yojana**) सम्बन्धी दिशा–निर्देशों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नःयथोक्त।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या 551 /XI/19/56(02)2020 तददिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी/मा0 ग्राम्य विकास मंत्री जी।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
8. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
10. परियोजना प्रबन्धन अधिकारी एस0पी0एम0यू0, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(उदय राज सिंह)
अपर सचिव।

शासनादेश संख्या 551 /XI/2020/56(2)2020 का संलग्नक

मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना (Mukhiya Mantri Playan Roktham Yojana) के विस्तृत मार्गनिर्देश

1. योजना की पृष्ठभूमि–

राज्य सरकार द्वारा राज्य मे पलायन रोकने तथा इस हेतु राज्य स्तर पर पलायन प्रभावित गांवों के लिय ठोस कार्ययोजना तैयार करने के लिये ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग का गठन किया गया है। 50 % तक पलायन से प्रभावित राजस्व गांवों की सूची ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग द्वारा ग्राम्य विकास विभाग को उपलब्ध करायी गयी है। जिसमें जनपद हरिद्वार को छोड़कर शेष अन्य जनपदों के लगभग 474 राजस्व ग्राम आयोग द्वारा ऐसे चिन्हित किये गये जिनमें 50 % तक पलायन हुआ है। इन गावों का पंचायत वार मैपिंग संबंधित जनपदों से कराये जाने के पश्चात ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग की सहमति से उक्त सूची को अंतिमीकृत किया गया है **(Annexure-I)**।

उपरोक्त राजस्व गांवों को चरणबद्ध रूप से विभिन्न विभागों के माध्यम से पलायन रोकने हेतु संचालित महत्वपूर्ण आजीविका सृजन तथा मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जानेवाली योजनाओं के माध्यम से संतृप्त किया जाना प्रस्तावित है। संतृप्तीकरण हेतु मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना **(Mukhiya Mantri Playan Roktham Yojana)** ग्राम्य विकास विभाग के माध्यम से गठित की गई है। इस धनराशि का उपयोग समस्त रेखीय विभागों द्वारा पलायन प्रभावित गांवों में पलायन रोकने की कार्ययोजना के कियान्वयन हेतु किया जायेगा तथा उपयोग प्रमाणपत्र प्रशासकीय विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

2. योजना का मुख्य उद्देश्य–

योजना का मुख्य उद्देश्य चिन्हित 50% तक पलायन प्रभावित गांवों में आवासित परिवारों /बेरोजगार युवाओं/रिवर्समाइग्रेन्ट्स आदि को स्वरोजगार को उपलब्ध कराने हेतु वर्तमान में कियान्वित विभिन्न विभागीय योजनाओं विशेषकर कृषि, उद्यान तथा पशुपालन एवं अन्य विभागों की स्वरोजगार परक/कौशल विकास की योजनाओं के प्रभावी कियान्वयन के साथ–साथ ऐसे gap जो वर्तमान में संचालित योजनाओं से आच्छादित नहीं हो पा रहे हों अथवा योजनाओं में वित्तीय कमी या अन्य कारणों से स्वरोजगारपरक आजीविका संवर्धन संबंधी कार्यो के कियान्वयन में व्यवधान हो रहा हो तो, ऐसे समस्त प्रकार के कार्यो को विभिन्न विभागों के माध्यम से इस योजना के तहत आच्छादित किया जायेगा बशर्ते प्रस्तावित योजनाओं की प्रकृतिपूर्णतः पलायन को रोकना अथवा पलायन को कम करना हो।

3. योजना का कार्यक्षेत्र–ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा वर्तमान में चिन्हित पलायन प्रभावित समस्त गांव इस योजना के तहत अन्य ऐसे गांव भी भविष्य में आच्छादित किये जा सकेंगे जो कि पलायन प्रभावित होंगे एवं जिनका चिन्हांकन/संस्तुति ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग, द्वारा की जायेगी।

4. योजना के तहत आच्छादन के विभिन्न घटक–स्वरोजगार युक्त कौशल विकास के कार्यकमों के कियान्यवन, उत्पाद मूल्य संवर्द्धन हेतु प्रशिक्षण एवं अजीविका संवर्धन हेतु अवसंरचना सुविधाओं का विकास, कृषि/उद्यान/पशुपालन आदि को बढावा देने तथा ऐसी मूलभूत सुविधाओं का विकास जो कि पलायन प्रभावित गांवों हेतु नितान्त आवश्यक हो, को इस योजना से आच्छादित किया जा सकेगा। स्वरोजगार हेतु युवाओं के प्रशिक्षण के मामले में व्यक्तिगत आच्छादन अनुमन्य होगा किन्तु

जो कि पलायन प्रभावित गांवों हेतु नितान्त आवश्यक हो, को इस योजना से आच्छादित किया जा सकेगा। स्वरोजगार हेतु युवाओं के प्रशिक्षण के मामले में व्यक्तिगत आच्छादन अनुमन्य होगा किन्तु प्रशिक्षण उपरांत बैंक लिंकेज के माध्यम अथवा रेखीय विभागो यथा MSME, ग्राम्य विकास आदि अन्य विभागीय योजनाओं के माध्यम से अनुदानित/Back ended subsidy युक्त तथा बैंक लिंकेज अथवा विभागीय योजनाओं में निर्धारित की गई अनुमन्यता के आधार पर स्वरोजगार भी स्थापित किया जाना आवश्यक होगा। प्रशिक्षण NSQF मानको के अनुरूप किये जाने पर विशेष प्राथमिकता दी जानी चाहिये। इस प्रकार पलायन रोकने में सहायक विभिन्न गतिविधियों को जनपदस्तरीय समिति द्वारा संस्तुत किया जा सकेगा। आजीविका संवर्धन हेतु विभिन्नन नवाचार की विशिष्ट योजनाओं में ऐसे व्यक्तिगत प्रकृति के कार्य भी लिये जा सकेंगे जो भविष्य में पलायन रोकने हेतु आजीविका विकास के replicable मॉडल बन सके। यद्यपि ऐसे नवाचार के कार्यो की स्वीकृति पर अंतिम अनुमोदन राज्य स्तरीय समिति द्वारा लिया जायेगा।

5. **योजनाओं का गठन, नियोजन एवं स्वीकृति**–ग्राम्य विकास विभाग के साथ–साथ अन्य रेखीय विभागों यथा कृषि, उद्यान, पशुपालन आदि द्वारा भी पलायन रोकने हेतु कार्ययोजना इस योजना के तहत तैयार कर संबंधित जनपद के जनपदस्तरीय समिति के सम्मुख योजनावार प्रस्तुत की जायेगी। जनपदस्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित कार्य योजना समेकित रूप से **Annexure-II** के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर संकलित कर सभी जनपदों द्वारा राज्य परियोजना प्रबंधनइकाई, ग्राम्य विकास को राज्य स्तरीय इम्पावर्ड समिति से अंतिम स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जायेगा तथा एस0पी0एम0यू0, ग्राम्य विकास द्वारा समस्त जनपदों से प्राप्त कार्ययोजनाओं का राज्य स्तर परीक्षणोपरांत राज्य स्तरीय इम्पावर्ड समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा। प्रत्येक जनपद के जिलाधिकारी अथवा मुख्य विकास अधिकारी द्वारा राज्य स्तरीय इम्पावर्ड समिति के सम्मुख प्रस्तुतिकरण दिया जायेगा। जिस पर अंतिम अनुमोदन तथा स्वीकृति मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता गठित राज्य स्तरीय इम्पावर्ड समिति द्वारा दिया जायेगा। यदि किसी प्रस्ताव में स्वीकृति उपरांत संशोधन की आवश्यकता महसूस होती है अथवा अध्यक्ष जनपदस्तरीय समिति द्वारा संशोधन की संस्तुति की जाती है तो ऐसी स्थिति में एस0पी0एम0यू0, ग्राम्य विकास द्वारा अध्यक्ष राज्य स्तरीय समिति से तदानुसार पत्रावली पर अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा एंव जनपद का संसूचित करते हुये आगामी इम्पावर्ड कमेटी की बैठक में कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।
6. **वित्तीय व्यवस्था एवं प्रकिया**–राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष इस योजना हेतु धनराशि आवंटित की जायेगी, जो कि ग्राम्य विकास निदेशालय के माध्यम से एस0पी0एम0यू0, ग्राम्य विकास को वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में अवमुक्त की जायेगी । जनपदों को धनराशि की अवमुक्ति पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से ही की जायेगी। इस निधि की प्रतिवर्ष आवंटित धनराशि का अधिकतम 2.5 % धनराशि का उपयोग राज्य स्तर पर पलायन संबधी सर्वेक्षण /रिपोर्ट तैयार करने, आंकडों का विश्लेषण, कार्यशाला आयोजन, पलायन संबंधी कार्यो के तृपक्षीय मूल्यांकन, सोशल आडिट तथा राज्य स्तरीय कियान्वयन इकाई के इस कार्य हेतु मानव संसाधन के मानदेय तथा अन्य प्रशासनिक व्यय आदि पर किया जा सकेगा। कुल आवंटित राशि का 2.5 % की धनराशि अध्यक्ष राज्य स्तरीय इम्पावर्ड कमेटी के निवर्तन पर रखी जायेगी जिसका उपयोग अध्यक्ष इम्पावर्डकमेटी के स्वविवेकानुसार पलायन प्रभावित गांवों हेतु विशिष्ट कार्यो अथवा जनपदों से पलायन रोकने हेतु प्राप्त नवाचार की योजनाओं पर किया जा सकेगा। राज्य स्तरीय कियान्व्यन इकाई के स्तर पर तथा निवर्तन पर रखी गई धनराशि के उपयोग न होने की दशा में उक्त धनराशि वर्ष के अन्त में जनपदों को स्वीकृत कार्यो हेतु अवमुक्त की जा सकेगी।
7. राज्य सरकार द्वारा योजना के कियान्वयन के दृष्टिगत राज्य सरकार पर पड़ने वाले अनुमानित वार्षिक व्यय भार का आंकलन कर मितव्ययता का ध्यान रखा जायेगा।
8. योजना के संचालन हेतु प्रस्तावित दिशा–निर्देशों में चयनित ग्रामों में से लाभार्थियों की निष्पक्ष चयन प्रकिया हेतु मापदण्डों का निर्धारण किया जायेगा तथा योजनाओं में पुरूषों के साथ–साथ

दृष्टिगत अन्य राज्यों से वापस आये उत्तराखण्ड राज्य के प्रवासियों के जीवन यापन हेतु रोजगार का विशेष प्राविधान किया जायेगा।

9. योजनान्तर्गत विकास कार्य हेतु अन्य विभागों द्वारा संचालित गतिविधियां/कार्यों से इतर गतिविधियों को ही सम्मिलित किया जायेगा जिससे कि योजनान्तर्गत दोहराव(Duplicacy) की स्थिति उत्पन्न न हो। योजनान्तर्गत क्या-क्या कार्य किये जायेंगे उसका स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा तथा श्रम सम्बन्धी कार्यों के निष्पादन हेतु युगपतीकरण (Convergence) की व्यवस्था अपनाते हुए मनरेगा के माध्यम से भी कार्य कराया जायेगा।

10. <u>जिला स्तरीय स्तरीय समितिः-</u>

योजना के नियोजन तथा स्क्रीनिंग एवं अनुमोदन हेतु जनपद स्तर पर निम्नानुसार समिति गठित की जाती है।

जिलाधिकारी	**अध्यक्ष**
मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
अधिशासीअभियन्ता /नोडलअभियन्ता, लो.नि.वि.	सदस्य
मुख्य कृषिअधिकारी,	सदस्य
अधिशासी अभियन्ता/नोडल अभियन्ता, ऊर्जा	सदस्य
अधिशासी अभियन्ता, पेयजल	सदस्य
जिला शिक्षा अधिकारी	सदस्य
परियोजना अधिकारी, उरेडा	सदस्य
जिला पंचायत राज अधिकारी	सदस्य
परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0ए0	सदस्य संयोजक
जिलाधिकारी द्वारा नामित अन्य विशिष्ट प्रतिनिधि	सदस्य

<u>राज्य स्तरीय Empowered समिति -</u>

मुख्य सचिव	**- अध्यक्ष**
प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास	- उपाध्यक्ष
प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन	- सदस्य
प्रमुख सचिव/सचिव, उद्योग	- सदस्य
प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त	- सदस्य
प्रमुख सचिव/सचिव, लो.नि.वि.	- सदस्य
प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि	- सदस्य
प्रमुख सचिव/सचिव उद्यान	- सदस्य
प्रमुख सचिव/सचिव, पेयजल	-सदस्य
प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा	-सदस्य
प्रमुख सचिव/सचिव, माध्यमिक शिक्षा	-सदस्य
प्रमुख सचिव/सचिव, स्वास्थ्य	-सदस्य
अपर सचिव, ग्राम्य विकास	-सदस्य संयोजक
सचिव, पलायन आयोग	- सदस्य
मण्डलायुक्त गढ़वाल एवं कुमाऊँ	-सदस्य
आयुक्त, ग्राम्य विकास.	-सदस्य

नोट–उपरोक्त प्रस्तावित समितियों में अध्यक्ष द्वारा अन्य सदस्यों को आवश्यकतानुसार समिति में जोड़ा जा सकता है ।

11. अन्य निर्देश–

11.1 इस योजना के तहत ऐसे कार्य जो अधिप्राप्ति नियमावली से आच्छादित होते है, उन पर राज्य की अधिप्राप्ति नियमावली लागू होगी।

11.2 बिना राज्य स्तरीय इम्पावर्ड कमेटी के अनुमोदन से कोई भी योजना परिवर्तित नहीं होगी।

11.3 प्रत्येक जनपद में उक्त योजना के मूल्यांकन तथा अनुश्रवण हेतु एक प्रभारी अधिकारी नामित किया जायेगा। जो राज्य स्तर पर सूचनाओं/प्रगति आख्या का सम्प्रेषण हेतु उत्तरदायी होगे। इस योजना के तहत किये गये कार्यो का प्रभावी मूल्यांकन, तृपक्षीय मूल्यांकन एवं सोशल आडिट भी कराया जायेगा।

11.4 इस योजना की त्रैमासिक आधार पर वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या संबंधित जनपद द्वारा राज्य को प्रेषित की जायेगी।

11.5 इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों, फार्मर्स प्रोड्यूसर समूह,ग्राम संगठन, कलस्टर फैडरेशन तथा स्वरोजगार हेतु युवाओं के व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं बैंक लिंकेज, विपणन व्यवस्था आदि हेतु कार्ययोजना में प्राथमिकता दी जायेगी।

11.6 स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण के इन चिन्हित गांवों के समस्त युवक–युवतियों का कौशल पंजी एप में पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।

11.7 प्रत्येक जनपद इस योजना के तहत किये गये कार्यो की सफलता की कहानियों/अभिनव प्रयास से संबंधित संक्षिप्त नोट तथा फोटोग्राफ एस0पी0एम0यू0, ग्राम्य विकास को समय–समय पर प्रेषित किया जायेगा।

11.8 इस योजना के कियान्यवन तथा अनुश्रवण हेतु पृथक से सूचना प्रबंधन तंत्र विकसित किया जायेगा जिस पर योजना की प्रगति संबंधी जानकारी नियमित अपडेट किये जाने की व्यवस्था की जायेगी।

11.9 योजना कियान्वयन की सामान्यतः समय सीमा 1 वर्ष होगी जा कि विशेष परिस्थियो में अधिकतम डेढ़ वर्ष होगी।

11.10 आजीविका विकास हेतु अवस्थापना/परिसंपतियों के सृजन के मामले में परिसंपतियों के प्रचालन, रखरखाव (Operation and maintenance) के संबंध में सुस्पष्ट बचन बद्धता दी जानी होगी।

11.11 ऐसी योजनायें किसी भी दशा में प्रस्तावित न की जाये जो अन्य योजनाओं से आच्छादित हो सकती हो।

11.12 योजनाओं की अन्य विभागीय योजनाओं के साथ duplicity न होने तथा अवस्थापना सृजन के मामले में भूमि व्यवस्था संबंधी वचन बद्वता संबंधी प्रमाण पत्र संबंधित जनपद द्वारा योजना प्रेषण के समय राज्य को उपलब्ध कराया जायेगा।

11.13 स्वरोजगार प्रशिक्षण के मामले के अतिरिक्त सामान्यतः व्यक्तिगत कार्यों को इस योजना से प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिये यद्यपि पलायन रोकने एवं चिन्हित गावों में लक्षित वर्गो को आजीविका संसाधनों तथा अन्य आवश्यक मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने के दृष्टिगत ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्तिगत कार्यो को अनुमन्य किया जा सकता है जो कि नितांत आवश्यक हो। किन्तु ऐसे व्यक्तिगत प्रस्तावित कार्यो के मामले में जनपद को समुचित तर्क संगत औचित्य दिया जाना आवश्यक होगा एंव ऐसे सभी मामलों में राज्य स्तरीय इम्पावर्ड समिति का निर्णय ही अंतिम होगा।

11.14 सूचना अधिकार अधिनियम 2005 मे दिये गये प्राविधान तथा नियमों के तहत इस योजना के कार्यो की सूचना दी जानी आवश्यक होगी।

11.15 प्रत्येक जनपद द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।

11.16 यदि कन्वर्जेंस के तहत किसी विभागीय योजना /सी0एस0आर0/अन्य वित्तीय संस्थानों/स्वयं के संसाधनों से पलायन रोकने संबंधी कार्य/योजना के कियान्वयन करने में जहां NGOs/private institutions/Impact investors के माध्यम से अनुमन्यता हों अथवा ऐसे संस्थान इच्छुक हों तो ऐसी

दशा में इन संस्थानों जनपद स्तर पर लिखित रूप में इन संस्थानों से वित्तीय व्यवस्था सहित वचन बद्धता प्राप्त करने के उपरांत इस प्रकार की सामुदायिक/व्यक्तिगत अथवा बेरोजगार युवाओं के स्वरोजगार स्थापना हेतु अनुमन्य कार्यो के कियान्यवन पर इस योजना की धनराशि के साथ कन्वर्जेंस किये जाने पर विचार किया जा सकता है। यद्यपि इस योजना की धनराशि का कोई भी अंश प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी दशा में NGOs/private institutions/Impact investors etc. को देय नही होगा अपित यह धनराशि केवल लक्षित वर्ग/गरीब परिवार पर ही नियमानुसार उपयोग किया जा सकेगा।

11.17 स्वरोजगार स्थापना के मामले में राज्य में स्थापित होने वाले Business Incubators के साथ जनपदों द्वारा सहयोग लिया जायेगा।

11.18 प्रस्तावित योजनाओं में विभागीय/सी0एस0आर0/अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ कन्वर्जेस अनुमन्य होगा। यद्यपि कन्वर्जेंस के मामले में प्रत्येक संस्थान का Key components एवं वित्तीय प्राविधानों का सुस्पष्ट उल्लेख प्रस्तावित कार्ययोजना में करना आवश्यक होगा।

11.19 ऐसी योजना जो अवस्थापना सृजन से संबंधित होगी का भू-टैग (geo tagging) किये जाने की व्यवस्था भी की जायेगी।

11.20 इस योजना के प्रभावी कियान्वयन हेतु विभाग द्वारा समय-समय पर कार्यकारी आदेश/निर्देश निर्गत किये जायेंगे।

11.21 मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित इम्पावर्ड कमेटी इस योजना के नियमों/प्राविधानों में शिथिलता अथवा समय समय पर यथासंशोधन हेतु अधिकृत होगी।

(मनीषा पंवार)
अपर मुख्य सचिव।

शासनादेश संख्या /XI/2020/56(2)2020 का संलग्नक **Annexure-I**

क्र. सं.	जनपद का नाम	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का कोड नं0	ग्राम पंचायत का नाम	राजस्व ग्राम/तोक/मजरे का नाम (वर्तमान में)
1	अल्मोडा	भिक्यासैंण	2	बाजन	बघाड
2			2	बाजन	बाजन
3			7	बौली	बौली चापड
4			13	बुढली	सगनेटी
5			13	बुढली	नरसिंह
6			13	बुढली	बुढली
7			16	चौड़ा गजा	गजा
8			21	दलमोड़ी	दलमोड़ी
9			30	ढूंगा	ढूगौ
10			57	महरटाना	महरटाना
11			68	निरकोट	निरकोट
12			70	पाली	पाली नाईखोला
13			80	सनो	सनो खनारी
14			85	शिलंग	शिलंग
15			93	स्यूतरा	स्यूतरा
16			93	स्यूतरा	लिसेड़ी
17		चौखुटिया	15	भटकोट	भटकोट
18			24	चौना	चौना
19			25	चिनौनी	चिनौनी
20			32	ढौन	ढौन
21			33	दुधलिया मनराल	बिचकना
22			61	लालुरी	लालुरी
23			64	माडकु बाखल	मल्टीगांव
			64	माडकु बाखल	केदार
			67	नागाड	गैलागोपुली
24			68	नौगांव	नौगांव
25			80	रिठाचौरा	तलाई रिठा चौरा
26			17	भनोली	कालीखान
27			17	भनोली	धलदागड
28		धौलादेवी	17	भनोली	भकोडिया
29					
30					

31		28	चौनडुगरी	चौनडुगरी
32		28	चौनडुगरी	मझेडा
33		28	चौनडुगरी	केडियागूठ
34		28	चौनडुगरी	सिधियाखेत
35		29	चौसाला	अमोग
36		29	चौसाला	पलद्वार
37		29	चौसाला	सिमाागूढ
38		33	दशौला बडियार	छातीगाडा
39		51	गुाादित्य	स्वाडी
40		73	ल्वेटा लदफोडा	ल्वेटा लदफोडा
41		89	नायल	बुधमन्या
42		89	नायल	थापल
43		91	पालडीगूठ	बगड चल्थी
44		91	पालडीगूठ	कनारी
45		93	पाली	पाली
46			नैनोली	नैनोली
47			चौना	चौना
48	द्वाराहाट	8	वमनपुरी	वमनपुरी
49		51	गवाड	गवाड
50		63	कोटिला	कोरिला
51		70	कुनथाड़ी	धनियाका डे
52		122	विजयपुर	विजयपुर
53	हवालबाल	63	खौड़ी	तिवाड़ी घौडी
54	सल्ट	14	बेसरबगड	अनुसूचित बस्ती
55		19	भवाली	भावली तल्ली
56		19	भवाली	भवाली मल्ली
57		36	डढोली	बदरूवाटीला
58		36	डढोली	डढोली
59		36	डढोली	रेवा
60		36	डढोली	घटुवा
61		98	मसोली	पल्ला गधेरा
62		114	पूनाकोट	वदरूआटीला
63		114	पूनाकोट	भूलबगड
64		114	पूनाकोट	पूनाकोट
65		115	पुरियाचौड़ा	पेसिया
66		115	पुरियाचौड़ा	हनेडा
67		115	पुरियाचौड़ा	झिराखेत

68			124	सकना	सकना
69			126	सीमा रिस्टाना	नगतुरा
70			126	सीमा रिस्टाना	हीत बाखली
71			126	सीमा रिस्टाना	जगतुवाखाल
72			126	सीमारिस्टाना	कूमरा झढिया
73			126	सीमा रिस्टाना	रिसटना
74			126	सीमा रिस्टाना	खर्कवाल बाखली
75			126	सीमा रिस्टाना	गोमिना
76		स्याल्दे	50	कैहडगांव	पचरूवा
77		ताडीखेत	29	डोबा	डोबा
78			29	डोबा	सिगोली
79			30	भतोडा	भतोड़ा
80			48	ठांगारौतेला	ढागारौतेला
81		बागेश्वर	48	बडेत	भडात
82			66	ऐराडी	ऐराडी
83			14	स्यालडोबा	फयालडोव
84			10	बसकूना	बसकूना
85			114	तोली	तोली
86			31	फरसाली (पल्ली)	फरसाली (पल्ली)
87			24	दारसिंग	दारसिंग
88			11	पाकड	पाकड
89	बागेश्वर	कपकोट	11	पाकड	बटालगाव
90			4	मल्लापन्याली(बडीपन्याली)	मल्लापन्याली(बडीपन्याली)
91				मल्ला पन्याली(बडीपन्याली)	अखट
92			114	चोखटा(चोरखरक)	चोखटा(चोरखरक)
93			11	पाकड	ओखलधार
94			38	जैंसर	जैसंर
95			38		ढुकुरा
96			69	नरग्वाडी	हुनेरा
97			69		नरग्वाडी
98			61	मल्ला डोबा	तल्ला ड़ोबा
99		गरूड़	61		मल्ला डोबा
100			55	लौबांज	भोजगण
101			55		लौबांज
102			72	नौघरस्टेट	नौघरस्टेट
103			26	डुमलोट	डुमलोट

104			5	अयारतोली	मोनियाभ्योल
105			5		अयारतोली
106			48	बैगॉव कालारो	बैगॉव कालारो
107			89	रियूनीलखमार	रियुनीलखमार
108			100	पय्या तल्ला	तल्ला पय्या
109			100		मल्ला पय्या
110			106	वज्यूला	वज्यूला
111			70	नौगॉव	कोट्यूडा
112			70		नौगाव अठरों
113	चम्पावत	चम्पावत	68	मैरोली	लधैनटुकडा
114			1	दियूरी	नैकना
115			104	सियाला	बाजा
116			92	रमैला	दमतोला
117			89	पोथ	भडिपाष
118			80	नौलापानी	तालिपाबाज
119			72	मथियाबांज	पाटली
120			63	खटोली तल्ली	भीजर
121			54	कारी	गायल
122			45	गुरखोलीगूंठ	बोयल
123			42	घुरचुम	कोताजमराड़ी
124			16	भजनपूर	भजनपुर
125			6	बडोली	रीठा
126			6	बडोली	बडोली
127			80	नौलापानी	नौलापानी
128		लोहाघाट	20	डूंगरी फर्त्याल	सलना
129			24	गूडमांगल	गुटमॉडल
130			67	टूनकाण्डे	सूर
131			31	कायल	टून्डाबिष्ट
132		पाटी	3	बालातड़ी	जमलो तोक
133			10	राजस्व गांव बिनवालगांव	बौलना
134			10		चन्द्रकोट
135			10		दुगानी
136			10		निमलपाखा
137			10		कालिपाधुरा
138			10		सिघौरी
139			15	राजस्व गांव चौड़ापिता	चौड़ा

140			15		थूमे
141			15		बमौर
142			15		गागरी बगड
143			15		गागरी
144			15		तल्ला बगड
145			15		टपूड़ी
146			51	मछियाड़	चौड़ा तोक
147			51		भण्डारी मछिपाड
148			64	रमक	चसगार
149			64		हुमार
150			64		तल्लासेला
151			64		चसग
152			64		आटा
153			64		कांटा
154			64		बनचौडा
155			64		गांठ
156	देहरादून	कालसी	16	बिरमऊ	बिरमऊ
157			48	नेवी	नेवी
158			106	ठांणा	टुंगरा
159			47	कचटा	कचटा
160			30	दौऊ	दौऊ
161			22	छटऊ	छटऊ
162			21	चोर–कुनावा	चोर–कुनावा
163			51	कनबुआ	कनबुआ
164			17	बिसोई	बिसोई
165			47	कचटा	खुस्यौ
166			14	भंजरा	भंजरा
167			11	बन्सार	अमराहा
168			11	बन्सार	बन्सार
169			9	बजऊ	बजऊ
170			8	बडनू	दातनू–बडनू
171			1	आरा	आरा
172			19	चन्देंऊ	चन्देऊ
173			87	रिखाड	रिखाड
174			104	टिमरा	टिमरा
175			101	ठांणा	ठांणा
176			100	सुरेऊ	सुरेऊ

177			99	सुपऊ	सुपऊ
178			38	हयोटगरी	हयोटगरी
179			89	सैंज–बमटाड	सैंज–बमटाड
180			59	खुन्ना–अलमान	खुन्ना–अलमान
181			83	पंजिया	चापनू
182			64	कुन्ना	कुन्ना
183			95	सराडी	सराडी
184			60	कोरूवा	कोरूवा
185			83	पंजिया	पंजिया
186			66	क्यारी	क्यारी
187			67	लाच्छा	लाच्छा
188			73	माख्टी	माख्टी
189			81	निथला	निथला
190			82	पानुवा	पानंवा
191	नैनीताल	बेतालघाट	10	छड़ाखैरना	गरमपानी
192			10		छड़ा खैरना
193		भीमताल	31	जंगलियागांव	जन्तवाल गांव
194			30	जंगलिया गांव	सिमाला
195			28	हडियागांव	हडिया गांव
196			16	चकबहेडी	दूनी
197		ओखलकांडा	73	कापल	कापल
198			73	टकुरा	टकुरा
199			61	बरगाठ	बरगाठ
200			53	त्रितेरका	त्रितेरका
201			48	मटेला	मटेला
202			43	कुलौन	कुलौन
203			4	मोईति	मोईति
204	पिथौरागढ	बैरीनाग	77	सुनेती	कसाड़ी
205			16	भुवनेश्वर	नानी शितला
206			78	चचरेत	जग्यूडा
207			70	रूईनाथल	गंगौरा
208			70	रूईनाथल	रूईनाथल
209			69	रावलगांव	इक्तुवागाडा
210			65	पीपलतड	झालडा
211			65	पीपलतड	पीपलतड
212			37	हतवालगांव	हतवालगांव
213			37	हतवालगांव	अमतड

214			16	भुवनेश्वर	मोना
215			78	थल	बरड
216		गंगोलीहाट	13	बटगेरी	बटगेरी
217			13	बटगेरी	सिरोली
218			10	बनकोट	बनकोट
219			10	बनकोट	स्पूनाडी
220			11	बासीखेत	खुरियागांव
221			11	बासीखेत	बासीखेत
222			12	बा0ल0ढनोरीसेरा	ढनोरीसेरा
223			112	टिम्टा जमरगपा	जडतोला
224			105	सिरतोली	दुनई
225			90	पासदेव	ठठोली
226			90	पासदेव	देवराडी पंत
227			90	पासदेव	पासदेव
228			70	कोटली	रोट
229			70	कोटली	महीगांव
230			12	बा0ल0 ढनोरीसेरा	बासीखेत लग्गा,ढनोरीसेरा
231			90	जखेडी	जखेडा
232			105	सिमाली	सिमाली
233			70	कोटली	भरकोट
234			105	कोटली	मनमती
235			70	कोटली	कोटली
236			63	जीवल	जीवल
237			60	जमतोला	जमतोला मधा ताल
238			60	जमतोला	जमतोला मधाजाख
239			60	जमतोला	मटियाल
240			60	जमतोला	जमतोला
241		कनालीछीना	81	सौगांव	मेलखत
242			24	जिंगाल	छिपदिया
243		मूनाकोट	16	देवदर	उदयकुंगा
244			68	सिलोनी	काण्डापुनेठा
245	टिहरी	भिलंगना	—	दोणीवल्ली	दोणीवल्ली
246			74	दोणीपल्ली	दोणीपल्ली
247		चम्बा	94	जगधार	जगधार
248			94	सेमल्टा	सेमल्टा
249			94		वीड
250			61	कोट	लालसी

251			61		कोट
252		जाखणीधार	82	सेमा	सेमा
253			58	मोली	भोली
254			55	मन्दार	मन्दार
255			55	खोला	खेला
256			43	खाण्ड	खण्ड
257			28	कस्तल	खस्तल तल्ला
258			4	बौष्ठा	बोष्ठा
259			4		बागी
260			4		त्रिराली
261		जौनपुर	63	खडकसारी	खदरपारी
262			63		हिरयाप गांव
263			96	मातली	मातली
264			96		कैन्य
265		कीर्तिनगर	71	रिगोली तल्ली	खम्वाड
266			67	रामपूर	पन्यूला
267			35	खोंगचा	पाणव
268		नरेन्द्रनगर	96	रौन्देली	हाडीसेरा
269			83	कुडी	कुण्डी
270			79	नौर	मलास
271			32	डौर	डौर
272			8	बडेडा	पाथा
273		प्रतापनगर	31	ग्वाड	ग्वाड
274			88	रौलाकोट	रोलाकेट
275			3	बनाली	बनोली
276			7	भेंगा	मैगा
277			10	भेनगी	मेनगी
278			16	चौन्धार	चौन्दात
279			70	ओखला	ओखला
280			73	पडिया	पडिया
281			77	पनियाला	पयियाला
282			68	नकोट	नकोट
283			52	कोटगा	कोटगर
284			49	कोलधार	कोलधार
285			40	कंगसाली	कगयाली
286			92	सेम	सेम
287		थौलधार	6	बमराडी	बरनौली

288			92	उप्पूतल्ला	औलणी
289			92		मलला
290			90	तिवाडगांव	मरोडत्रा
291			85	सौड उप्पू	रूडिया डांडा
292			62	भेन्टी	मठियाली
293			47	कन्स्यूड	किलता गांव
294			19	कण्डारी	कण्डारी तोक
295	उधमसिहनगर	जसपुर	34	मघावाला	मघावाला
296			30	कन्डा	कन्डा
297			23	हरियावाला	शाहगज
298			23	हरियावाला	हरियावाला
299			19	गढीनगी	रामजीवनपर
300			19	गढीनगी	गढीनगी
301			10	भतरपर	गिरधरी मशी
302			10	भतरपर	भतरपर
303	उत्तरकाशी	भटवाड़ी	67	साल्ड	साल्ड
304			9	वसुंगा	वसुंगा
305			60	निसमोर	निसमोर
306			30	ज्ञाणजा	ज्ञाणजा
307		पुरोला	37	स्यालुका	स्यालुका
308			30	पौन्टी	पौन्टी
309			13	छिवाला	छिवाला
310			25	पौन्टी	पौन्टी
311		नौगांव	25	गौल	गौल
312			74	नरयुका	नरयुका
313			94	छानिका	छानिका
314			25	निषणी	निषणी
315			120	तियॉ	तिया
316			120	ठोलिका	ठोलिका
317			119	स्यालना	स्यालना
318			114	पिण्डकी	पिण्डकी
319			101	कुवा	कुवा
320			78	पालुका	पालुका
321			101	न्यूगांव	न्यूगांव
322			74	मानडगांव	मानडगांव
323			78	खाबला	खाबला
324			66	जरडा	जरडा

325			49	दुर्विल	दुर्विल
326			32	घारीपल्ली	घारीपल्ली
327			29	दागुडगांव	दागुडगांव
328			21	पमाडी	पमाडी
329			4	वजलाडी	वजलाडी
330		चिन्यालीसौड़	65	नेरी	नेरी
331			47	खाण्ड	खाण्ड
332			44	कटखाड	कटखाड
333			6	बादसी	बादसी
334			18	भडकोट	भडकोट
335		डुण्डा	3	न्यूसारी	न्यूसारी
336			73	नैपड	नैपड
337			49	जुगुल्डी	जुगुल्डी
338			38	गोरसाडा	गोरसाडा
339			62	भाडाकोट	भाडाकोट
340		मोरी	41	लिवाडी	लिवाडी
341			58	रेक्चा	रेक्चा
342			58	हरिपुर	हरिपुर
343			54	पावली	पावली
344			39	कुकरेडा	कुकरेडा
345			31	कलीच	कलीच
346			27	हल्टाणी	हल्टाणी
347			1	आराकोट	आराकोट
348			3	भख्वाड	भख्वाड
349			5	वेगल	वेगल
350			7	भुटाणू	भुटाणू
351			55	पैन्सर	पैन्सर
352			16	देवरा	देवरा
353	चमोली	देवाल	13	घेस	सरमाता
354		जोशीमठ	32	कुण्डीखोला	चम्तोली
355			32	कुण्डीखोला	कुण्डी
356		कर्णप्रयाग	68	नोसारी बरमोली	घनसारी
357			81	सिरण	भवांरीतोक
358		पोखरी	27	करछूना	करदुना मल्ला
359			11	ढामक	चमशीप
360			27	करछूना	करडुना तल्ला
361			46	रानों	बांजी

362			46	रानों	खेडी
363			46	रानों	रोठला
364			11	ढामक	आलीशल
365		थराली	11	देवलकोट	एस सी बस्ती मेल्ण
366			11	देवलकोट	सासखेत
367	रूद्रप्रयाग	अगस्तयमुनि	87	जग्गी काण्डई	ठंगर्च
368			11	बंगोली	ठिमणी
369			11	बंगोली	चामी
370			61	गडमिल	गाणगा
371			130	निषणी	निषणी
372			130	निषणी	सुनानु
373			130	निषणी	मरगांव
374			157	तेबडीसेम	तेवडी
375			157	तेबडीसेम	कोपा
376		जखोली	32	फलाटी	सोड
377			32	फलाटी	चोटा
378			32	चाका	राजमाडा
379		ऊखीमठ	5	बुरुवा	माल्दी
380			70	ब्यूंग	सेमकुराला
381			69	व्यूखी	व्यूखी
382			52	पावजगपुडा	पाव
383			28	जाल मल्ला	जालमल्ला
384	पौड़ी	वीरोखाल	45	देककण्डई	भैसोडा
385			98	ठंगा मल्ला	ठंगामल्ला
386			97	थकुलसारी	फुलसारी बड़ी
387			97	थकुलसारी	फुलसारी छोटी
388			95	तैली पखोली	पीपलसेण
389			93	सुंगरिया बडा	सिलवाणी
390			89	सिन्दूडी	खेतू छोटी
391			89	सिन्दूडी	सिन्दूडी बड़ी
392			86	गोरखेणा	गोरखेणा
393			81	डुमैलामल्ला	भरोलीम0
394			78	पनासम0	पनासम0
395			68	मंगरौ	झालो
396			29	तैली पखोली	बण्डाई खोला
397			6	बन्दरकोट	रूमठियाल
398			23	घोडियाना	डांगू

399			60	कुण्जोली	पइयागैरी
400			25	मैठाणा	मैठावा मैठाणा
401			45	मैठाणा	घबडियाम त0
402			35	घोडियाना	धोडियाना
403			35	घोडियाना	बन्दलेखा डागू म0
404			38	ग्वीन मल्ला	ग्वीन म0 डाडा
405			38	ग्वीन मल्ला	ग्वीन म0 डाडा
406			25	ढौर	ढौर
407		दुगड्डा	12	बोरगॉव	बोरगॉव
408			93	ठओली	रणेथ
409		द्वारीखाल	42	हिलोगी	हिलोगी
410			72	अस्नेथ	मजफ
411			78	सिमार	सिमार
412			28	गोर्ली	गादई
413			28	गोर्ली	क्याद
414			28	गोर्ली	चमडल
415			31	ग्वाड त	ग्वाड झेवाल त0
416		एकेश्वर	31	ग्वाड मल्ला	ग्वाड मल्ला
417			57	मोल्ठी	चौधी
418			57	मोल्ठी	कबरा
419			57	मोल्ठी	मो तल्ला
420			57	मोल्ठी	मो मल्ला
421			39	कगथुन	कगधुन
422			26	गजेरा	पणखेत
423			29	किमोली	छवीली
424			16	सला	गता
425			27	धारकोट	धारकोट
426			5	बडखोलू	बडखोलू
427		कल्जीखाल	54	नौगांव	नौगांव
428			61	नौटियालगांव	नौटियाल
429			82	धनुल	ठंगधार
430			29	ध्यीली बिष्ट	बिष्ट
431			16	बिष्ट बुगा	बिष्ट बुगा
432			13	गजेली	गौली
433		खिर्सू	13	गजेली	कगड़ी
434			11	डुंगरीपन्थ	दिखेल्यू
435		कोट	20	घीडी	बडडूर

436			25	झांझड	झुजड
437			25	झांझड	क्वीराली
438			54	पलोटा	सिमलसू
439		नैनीडांडा	66	परसोली	परसोली
440			39	ज्यूंदालियों	पातालवि0
441			59	नारद मोक्षण	मान सिंह मोक्षण
442		पाबो	28	गडरिया	गडरिया
443		पौड़ी	40	कोठार	मोलखण्डी
444			42	क्यार्क	ग्वाड
445			51	पिसोली	पिसोली
446		पौखड़ा	26	गुडिण्डा	गुडिण्डा
447			27	गवाणा मल्ला	गवाणा
448			50	पणिया	मिण्डकुल
449			57	सेडियाधार	रोडियाधार
450			5	बगड़ीगाड	बगड़ीगाड
451			7	बदूली	भटूली
452			9	वीनाधर	वीनाधार
453			6	बासाई	बारई
454		रिखणीखाल	79	केलबू	केलबू
455			62	नवि	नवि
456			69	सिल गांव	सिल गांव
457			54	क्वीराती तोल्यूं	क्वीराती
458			25	दलमोता	दलमाता
459			70	सिलवेड़ी	सिलवड़ी
460			22	डबराड	बुथानगर
461			22	डबराड	डबराड
462			18	अन्दरगांव	कुमाईखत्ता
463			33	द्वारी	द्वारी
464		थलीसैण	31	गडोली	गडोली
465			3	बडेथ	वदैथ
466			2	अन्ताखेली	अन्ताखेली
467			2	अन्ताखेली	खमीसारी
468			2	अन्ताखेली	गिवाई
469			2	अन्ताखेली	मेलखण्डाई

470		यमकेश्वर	57	नैल	नैल
471			53	नैल	मुसराली
472			57	खेडातल्ला	गुजराड़ा
473			53	कुमार्था	कुमार्था
474		जहरीखाल	31	जाडियाना	जाडियाना

(उदय राज सिंह)
अपर सचिव।

शासनादेश संख्या /XI/2020/56(2)2020 का संलग्नक **Annexure-II**

पलायन रोकने हेतु कार्ययोजना

जनपद–

योजना का नाम	स्थान			जी0पी0एस0 कोर्डीनेट	कार्य परियोजना की अनुमानित लागत (लाख में)	कार्य परियोजना की स्थिति (नवीन/पुरानी)	कार्य परियोजना के पूर्ण होने की स्थिति		कार्यदायी संस्था/विभाग	लाभार्थी/लक्ष्य (संख्या में)	लाभार्थियों का प्रकार				कार्य परियोजना का औचित्य	अभियुक्ति
	जनपद	विकासखण्ड	गांव				प्रारम्भ होने की अपेक्षित तिथि	पूर्ण होने की अपेक्षित तिथि			एस0एच0जी0	एफ0पी0ओ	व्यक्तिगत	अन्य		

(उदय राज सिंह)
अपर सचिव।